उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

संख्या-177/2015/533/22-4-15-48(66)/15

लखनऊ : दिनांक-10 सितम्बर, 2015

विज्ञप्ति/नियुक्ति

जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर- 669 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय गैर सरकारी जेल वीक्षकों को नामित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या- 1495/22-4-2002-48(23)/99, दिनांक 07-01-2003 में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत **जिला कारागार, रायबरेली के लिए श्रीमती नीलम सिंह पत्नी श्री शिवहर्ष सिंह, निवासी-एल-149क, मनु निवास, इन्दिरानगर, थाना-कोतवाली, जनपद-रायरबेली** को गैर सरकारी वीक्षक (जेल विजिटर) नियुक्त करते हैं। ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा इनकी नियुक्ति इस आदेश के निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष (02 वर्ष) तक की अवधि के लिए होगी, यदि इसके पूर्व ही इनकी नियुक्ति शासन द्वारा निरस्त न कर दी जाय।

एस0के0 रघुवंशी
सचिव

संख्या-177/2015/533(1)/22-4-15-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु।
2- जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली।
3- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- सूचना,निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- सम्बन्धित व्यक्ति।
6- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, रायबरेली।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in